



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में चेक बाउंस होने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी प्रक्रिया और समयसीमा क्या है, जिसमें डिमांड नोटिस, समय सीमा और समझौते पर अदालतों के फैसले शामिल हों?”

भारत में चेक बाउंस (परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138): वैधानिक प्रक्रिया, समय-सीमा, डिमांड नोटिस की आवश्यकताएँ और समझौते (Compounding) के नियम

सारांश

परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act), 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होना केवल तभी एक आपराधिक अपराध बनता है जब वैधानिक समय-सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाए, जिसमें चेक की प्रस्तुति, रिटर्न मेमो प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजना, और नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर उसके बाद 1 महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज करना शामिल है (*Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey & Anr.* (2012))। अदालतें मांग नोटिस में चेक राशि की स्पष्ट और पृथक मांग पर बल देती हैं और सही पते पर भेजे गए नोटिस की तामील की कानूनी उपधारणा करती हैं। इस अपराध का समझौता (compounding) विभिन्न न्यायिक चरणों में श्रेणीबद्ध लागतों (graded costs) के भुगतान के अधीन स्वीकार्य है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	4	2025
15 उच्च न्यायालय • 10 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Delhi

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	7
IV. मुकदमे का विवरण	9

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 मांग नोटिस में चेक राशि की स्पष्टता

धारा 138(b) के तहत कानूनी मांग नोटिस में चेक राशि ("उक्त राशि") की स्पष्ट रूप से मांग की जानी चाहिए। यदि नोटिस में ब्याज या अन्य खर्चों को शामिल किया गया है, तो वे चेक राशि से स्पष्ट रूप से अलग करने योग्य (severable) होने चाहिए। बिना किसी पृथक्करण के केवल कुल बकाया की एकमुश्त मांग (omnibus demand) करने वाला नोटिस अमान्य माना जाएगा, जिससे पूरी शिकायत खारिज हो सकती है (*M/S. Rahul Builders v. M/S. Arihant Fertilizers and Chemical* (2007); *Barun Bhanot v. M/S Annie Impexpo Marketing Pvt Ltd & Anr* (2025); *Suman Sethi v. Ajay K. Churiwal* (2000))।

02 समय से पहले शिकायतों (Premature Complaints) की अमान्यता

धारा 138(c) के तहत आरोपी को नोटिस मिलने के बाद भुगतान करने के लिए 15 दिन का अनिवार्य समय दिया जाता है। इस 15 दिनों की वैधानिक अवधि की गणना में नोटिस प्राप्त होने वाले दिन को बाहर रखा जाना चाहिए। यदि शिकायत नोटिस प्राप्ति के 15 दिन पूरे होने से पहले ही दर्ज कर दी जाती है, तो वह समय से पहले होने के कारण कानूनन अमान्य है और उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता (*Pradeep Choudhary v. State of Jharkhand* (2020))।

03 वैधानिक समय-सीमा और सीमा अवधि (Limitation)

चेक अनादर होने की बैंक से सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है (*M.J. Kurian v. State of Kerala* (2017))। 15 दिनों की भुगतान अवधि समाप्त होने के अगले दिन से 'cause of action' उत्पन्न होता है, जिसके ठीक 1 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि तुरंत शुरू हो जाती है और निर्धारित समय के बाद दर्ज शिकायत समय-बाधित (time-barred) होने से खारिज कर दी जाएगी (*M. Srinivasa Kumar v. Mibom Pertin* (2024); *Umiya Pipe Private Limited v. State of Gujarat* (2008))।

04 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नोटिस भेजने पर तामील की उपधारणा

यदि मांग नोटिस सही पते पर पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से भेजा गया है, तो General Clauses Act की धारा 27 और Evidence Act की धारा 114 के तहत इसे तामील (served) माना जाएगा। आरोपी केवल प्राप्ति से इनकार करके दायित्व से नहीं बच सकता; उसे अदालत से समन मिलने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का विकल्प होता है, अन्यथा तामील की उपधारणा प्रभावी रहेगी (*C.C. Alavi Haji v. Palapetty Muhammed* (2007); *Prashant Sharma v. State of U.P.* (2023); *Rajanikant Mani Tripathi v. State of U.P.* (2020))।

05 धारा 139 के तहत वैधानिक उपधारणा और खंडन का मानक

चेक जारी करना और उस पर हस्ताक्षर स्वीकार होने पर धारक के पक्ष में धारा 139 के तहत ऋण के अस्तित्व की धारणा बनती है। इसे खंडित करने के लिए आरोपी को 'preponderance of probabilities' (संभावनाओं की प्रबलता) के आधार पर एक संभावित बचाव (probable defence) स्थापित करना होता है, जिसके लिए स्वयं गवाह बनना अनिवार्य नहीं है (*Basalingappa v. Mudibasappa* (2019); *Complainant v. Accused* (2023))।

06 समझौता (Compounding) और श्रेणीबद्ध लागत

धारा 138 के तहत अपराध शमनीय है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, यदि पक्षकारों के बीच समझौता होता है, तो मुकदमे के चरण के अनुसार लागत चुकाकर अपराध का शमन कराया जा सकता है (जैसे मजिस्ट्रेट के समक्ष 10%, सत्र या उच्च न्यायालय में 15%, और सुप्रीम कोर्ट में 20% लागत), जिसका प्रभाव आरोपी की दोषमुक्ति (acquittal) के रूप में होता है (*Virender Kumar v. State of Haryana* (2012))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ अदालतों को निर्देश दिया है कि वे चेक बाउंस के मामलों में त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए धारा 143 के तहत संक्षिप्त विचारण (summary trial) प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें (*Indian Bank Association v. Union of India* (2014))। न्यायालय ने यह भी स्थापित किया है कि यदि कोई खाताधारक चेक जारी करने के बाद बैंक को 'stop payment' का निर्देश देता है, तो भी वह धारा 138 के तहत दंडनीय होगा (*Goaplast Pvt. Ltd. v. Shri Chico Ursula D'Souza* (2003))। इसके अतिरिक्त, शिकायत में हस्ताक्षर न होने जैसी प्रक्रियात्मक त्रुटियों को बाद में सुधारा जा सकता है (*Indra Kumar Patodia v. Reliance Industries Ltd.* (2012))।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि यदि चेक के अनादर होने पर पहला नोटिस समय पर भेजा गया था लेकिन उस पर कानूनी समयसीमा के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की गई, तो उसी चेक को दोबारा प्रस्तुत कर और दूसरा नोटिस भेजकर शिकायतकर्ता नया 'cause of action' नहीं बना सकता। ऐसी शिकायतें रद्द करने योग्य हैं (*M/s. Mriuthyunjaya Agriculture Store & Ors. v. M/s. Kavery Distributors Pvt. Ltd.* (2009); *Sadanandan Bhadrans v. Madhavan Sunil Kumar* (1998))। हालांकि, यदि दूसरा नोटिस विधिवत तामील होना प्रमाणित न हो, तो भी शिकायत खारिज होगी (*Navin Kumar Pathak v. The State of Jharkhand* (2024))।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

विलंब की माफी (Condonation of Delay) का सीमित अधिकार

धारा 142(b) का परंतुक मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण होने पर समय-सीमा के बाद भी शिकायत पर संज्ञान लेने की अनुमति देता है। लेकिन यह परंतुक 2002 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो एक मौलिक प्रावधान है और इसे भूतलक्षी (retrospective) प्रभाव से उन शिकायतों पर लागू नहीं किया जा सकता जो इस संशोधन से पहले की समय-बाधित थीं (*Subodh S. Salaskar v. Jayprakash M. Shah & Anr.* (2008); *Guru Swarup Srivastava v. National Agricultural Cooperative Marketing Federation* (2008))।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 138, NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 — DISHONOUR OF CHEQUE FOR INSUFFICIENCY, ETC., OF FUNDS IN THE ACCOUNT

यह प्रावधान स्थापित करता है कि खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस होना एक आपराधिक अपराध है, जिसके लिए अधिकतम दो वर्ष की कैद या चेक राशि के दोगुने तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है, जो विशिष्ट नोटिस और भुगतान की समय-सीमाओं के अधीन है।

"Where any cheque drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this Act, be punished with imprisonment for a term which may be extended to two years, or with fine which may extend to twice the amount of the cheque, or with both:

Provided that nothing contained in this section shall apply unless--

- (a) the cheque has been presented to the bank within a period of six months from the date on which it is drawn or within the period of its validity, whichever is earlier;
- (b) the payee or the holder in due course of the cheque, as the case may be, makes a demand for the payment of the said amount of money by giving a notice; in writing, to the drawer of the cheque, within thirty days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the cheque as unpaid; and
- (c) the drawer of such cheque fails to make the payment of the said amount of money to the payee or, as the case may be, to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of the receipt of the said notice.

Explanation.-- For the purposes of this section, debt or other liability means a legally enforceable debt or other liability." उद्धृत: Barun Bhanot v. M/S Annie Impexpo Marketing Pvt Ltd & Anr, Guru Swarup Srivastava v. National Agricultural Cooperative Marketing Federation, Suman Sethi v. Ajay K. Churiwal, Indra Kumar Patodia v. Reliance Industries Ltd., Goaplast Pvt. Ltd. v. Shri Chico Ursula D'Souza, M/S. Rahul Builders v. M/S. Arihant Fertilizers and Chemical, Sadanandan Bhadrans v. Madhavan Sunil Kumar, Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey & Anr., Indian Bank Association v. Union of India, C.C. Alavi Haji v. Palapetty Muhammed, Umiya Pipe Private Limited v. State of Gujarat, Pradeep Choudhary v. State of Jharkhand, Navin Kumar Pathak v. The State of Jharkhand, M.J. Kurian v. State of Kerala, Virender Kumar v. State of Haryana, Prashant Sharma v. State of U.P.

SECTION 142, NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 — COGNIZANCE OF OFFENCES

यह धारा धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने के मामलों में अदालतों द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जिसके लिए कारण उत्पन्न होने (cause of action) के एक महीने के भीतर लिखित शिकायत दर्ज होना आवश्यक है और यह क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) भी तय करती है।

"Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974),

(a) no court shall take cognizance of any offence punishable under section 138 except upon a complaint, in writing, made by the payee or, as the case may be, the holder in due course of the cheque;

(b) such complaint is made within one month of the date on which the cause of action arises under clause (c) of the proviso to section 138:

Provided that the cognizance of a complaint may be taken by the Court after the prescribed period, if the complainant satisfies the Court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period;

(c) no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under section 138.

(2) The offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction,—

(a) if the cheque is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account, is situated; or

(b) if the cheque is presented for payment by the payee or holder in due course, otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account, is situated."

उद्धृत: M/s. Mriuthyunjaya Agriculture Store & Ors. v. M/s. Kavery Distributors Pvt. Ltd., Guru Swarup Srivastava v. National Agricultural Cooperative Marketing Federation, Indra Kumar Patodia v. Reliance Industries Ltd., Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey & Anr., Pradeep Choudhary v. State of Jharkhand

SECTION 139, NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 — PRESUMPTION IN FAVOUR OF HOLDER

यह धारा एक कानूनी धारणा (legal presumption) स्थापित करती है कि जब तक इसके विपरीत साबित न किया जाए, चेक के धारक ने इसे किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व के निपटान के लिए प्राप्त किया था।

"It shall be presumed, unless the contrary is proved, that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability." उद्धृत: कोई नहीं

SECTION 106, NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 — REASONABLE TIME OF GIVING NOTICE OF DISHONOUR

यह धारा अनादर (dishonour) का नोटिस भेजने के लिए एक उचित समय को परिभाषित करती है, जो इस बात पर आधारित है कि क्या पक्षकार अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं/व्यवसाय करते हैं या एक ही स्थान पर।

"If the holder and the party to whom notice of dishonour is given carry on business or live (as the case may be) in different places, such notice is given within a reasonable time if it is dispatched by the next post or on the day next after the day of dishonour.

If the said parties carry on business or live in the same place, such notice is given within a reasonable time if it is dispatched in time to reach its destination on the day next after the day of dishonour." उद्धृत: कोई नहीं

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Indian Bank Association v. Union of India</i> ESCR010005262014	SUPREME COURT OF INDIA	2014	चेक बाउंस के मुकदमों में त्वरित निपटान हेतु संक्षिप्त प्रक्रिया (summary trial) का अनिवार्य अनुपालन।
02	<i>Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey & Anr.</i> ESCR010003472012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	15 दिनों की कानूनी नोटिस अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई शिकायत समय से पहले और अमान्य है।
03	<i>M. Srinivasa Kumar v. Mibom Pertin</i> GAHC040003692023	GAUHATI HIGH COURT	2024	निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई शिकायत समय-बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है।
04	<i>Umiya Pipe Private Limited v. State of Gujarat</i> GJHC240528722007	HIGH COURT OF GUJARAT	2008	धारा 138 के तहत वाद कारण (cause of action) नोटिस प्राप्ति के 15 दिन बीतने के बाद उत्पन्न होता है।
05	<i>C.C. Alavi Haji v. Palapetty Muhammed</i> ESCR010010442007	SUPREME COURT OF INDIA	2007	सही पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गए नोटिस की वैधतामील की उपधारणा की जाएगी।
06	<i>Umiya Pipe Private Limited v. State of Gujarat</i> GJHC240528732007	HIGH COURT OF GUJARAT	2008	आरोपी द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब से शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि का विस्तार नहीं होता।
07	<i>M/S. Rahul Builders v. M/S. Arihant Fertilizers and Chemical</i> ESCR010002042007	SUPREME COURT OF INDIA	2007	चेक की विशिष्ट राशि की मांग के बिना सामान्य बकाया बकायों की मांग करने वाला नोटिस अमान्य है।
08	<i>Pradeep Choudhary v. State of Jharkhand</i> JHHC010190102014	HIGH COURT OF JHARKHAND	2020	15 दिनों की वैधानिक भुगतान अवधि की गणना में नोटिस प्राप्त होने वाले दिन को बाहर रखा जाना चाहिए।
09	<i>Barun Bhanot v. M/S Annie Impexpo Marketing Pvt Ltd & Anr</i> DLHC010012162018	HIGH COURT OF DELHI	2025	मांग नोटिस में चेक राशि का स्पष्ट विवरण न होने पर शिकायत गैर-सुनवाई योग्य हो जाती है।
10	<i>Sadanandan Bhadran v. Madhavan Sunil Kumar</i> ESCR010003091998	SUPREME COURT OF INDIA	1998	नोटिस जारी होने के बाद भुगतान न होने पर वाद कारण (cause of action) केवल एक ही बार उत्पन्न होता है।
11	<i>Navin Kumar Pathak v. The State of Jharkhand</i> JHHC010243852011	HIGH COURT OF JHARKHAND	2024	दूसरे मांग नोटिस की विधिवत तामील साबित न होने पर समय-सीमा के उल्लंघन के कारण दोषमुक्ति सही है।
12	<i>Basalingappa v. Mudibasappa</i> ESCR010008452019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	धारा 139 की धारणा के खंडन हेतु आरोपी को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर बचाव करना होगा।
13	<i>Suman Sethi v. Ajay K. Churiwal</i> ESCR010000662000	SUPREME COURT OF INDIA	2000	नोटिस में चेक राशि के साथ अतिरिक्त खर्चों की मांग यदि पृथक है, तो नोटिस वैध रहता है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Prashant Sharma v. State of U.P.</i> UPHC011721452023	HIGH COURT OF ALLAHABAD	2023	सही पते पर भेजे गए नोटिस की तामील मानने की उपधारणा का खंडन मुकदमे के दौरान साक्ष्य का विषय है।
15	<i>M/s. Mriuthyunjaya Agriculture Store & Ors. v. M/s. Kavery Distributors Pvt. Ltd.</i> DLHC010124642004	HIGH COURT OF DELHI	2009	पहले नोटिस पर समय सीमा के भीतर शिकायत न करके दूसरे नोटिस पर शिकायत दर्ज करना अमान्य है।
16	<i>M.J. Kurian v. State of Kerala</i> KLHC010216272016	HIGH COURT OF KERALA	2017	चेक अनादर की सूचना मिलने के 30 दिनों के बाद भेजा गया वैधानिक मांग नोटिस अमान्य है।
17	<i>Guru Swarup Srivastava v. National Agricultural Cooperative Marketing Federation</i> DLHC010531882006	HIGH COURT OF DELHI	2008	धारा 142(b) के तहत देरी की माफी के लिए शिकायत में पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना आवश्यक है।
18	<i>Subodh S. Salaskar v. Jayprakash M. Shah & Anr.</i> ESCR010001412008	SUPREME COURT OF INDIA	2008	धारा 142 में देरी माफी का संशोधन एक मौलिक अधिकार है और यह भूतलक्षी (retrospective) नहीं है।
19	<i>Rajanikant Mani Tripathi v. State of U.P.</i> UPHC010499412020	HIGH COURT OF ALLAHABAD	2020	पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से भेजे गए नोटिस की तामील का उचित अनुमान समय 30 दिन तक होता है।
20	<i>Goaplast Pvt. Ltd. v. Shri Chico Ursula D'Souza</i> ESCR010001642003	SUPREME COURT OF INDIA	2003	चेक जारी करने के बाद बैंक को भुगतान रोकने (stop payment) का निर्देश देने पर भी धारा 138 लागू।
21	<i>Indra Kumar Patodia v. Reliance Industries Ltd.</i> ESCR010001172012	SUPREME COURT OF INDIA	2012	शिकायत में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर न होने की त्रुटि को सत्यापन के दौरान सुधारा जा सकता है।
22	<i>Complainant v. Accused</i> APHC010586702017	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2023	नोटिस प्रेषित करने के साथ ही शिकायतकर्ता का दायित्व समाप्त, तामील की वैधानिक उपधारणा प्रभावी।
23	<i>Virender Kumar v. State of Haryana</i> PHHC010637392012	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2012	सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के तहत निर्धारित लागत चुकाकर समझौते की अनुमति और बरी होना (CRR/930/2012)।
24	<i>Virender Kumar v. State of Haryana</i> PHHC010637452012	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2012	समझौते के बाद शमन (compounding) होने पर आरोपी को बरी करने का आदेश (CRR/936/2012)।
25	<i>Virender Kumar v. State of Haryana</i> PHHC010637402012	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2012	पक्षकारों के बीच समझौते और निर्धारित लागत जमा करने के आधार पर पुनरीक्षण में बरी होना (CRR/931/2012)।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Indian Bank Association v. Union of India

SUPREME COURT OF INDIA • 2014-04-21 • 2014 INSC 963

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत चेक बाउंस होने के मामलों में अदालतों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया में एकरूपता की कमी के बारे में था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधन के बावजूद, मामलों के निपटारे में देरी हो रही थी। Supreme Court ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में Section 143 of the Act और Section 262 to 265 of the Cr.P.C. के तहत summary procedure का पालन अनिवार्य है। न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे संज्ञान लेने, समन जारी करने (email सहित), और मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि न्याय प्रणाली पर बोझ कम हो सके।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 138 का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लेनदेन में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाना है। अदालत ने अधीनस्थ अदालतों को त्वरित और समयबद्ध संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए ताकि बेईमान जारीकर्ताओं द्वारा देरी करने के हथकंडों को रोका जा सके।

“The objectives of the proceedings of Section 138 of the Act are that the cheques should not be used by persons as a tool of dishonesty and when cheque is issued by a person, it must be honoured and if it is not honoured, the person is given an opportunity to pay the cheque amount by issuance of a notice and if he still does not pay, he must face the criminal trial and consequences.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2014

स्रोत ESCR010005262014

02 Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-04-03 • 2012 INSC 161

यह मामला Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 के तहत दायर शिकायतों से संबंधित है। विवाद का मुख्य बिंदु यह था कि क्या Magistrate ऐसी शिकायत पर संज्ञान (cognizance) ले सकता है जो कानूनी नोटिस की 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई हो। न्यायालय ने पाया कि पूर्ववर्ती निर्णयों में विरोधाभास है और यह स्पष्ट किया कि ऐसी शिकायत समय से पहले (premature) मानी जाएगी। चूंकि इस विषय पर न्यायिक मतभेद मौजूद थे और उच्च न्यायालयों में भी विरोधाभासी राय थी, इसलिए न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को अंतिम रूप से हल करने के लिए मामले को बड़ी बेंच (larger bench) के पास भेज दिया है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि धारा 138 और 142 के संयुक्त पठन से स्पष्ट है कि भुगतान करने के लिए 15 दिनों की वैधानिक अवधि बीतने से पहले दर्ज की गई शिकायत अपरिपक्व (premature) है। ऐसी शिकायत को संज्ञान लेने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

“A conjoint reading of Sections 138 and 142 makes it abundantly clear that a complaint under Section 138 can be filed only after the cause of action to do so accrues to the complainant in terms of clause (c) of the proviso to Section 138 which as noticed earlier happens only when the drawer of the cheque in question fails to make the payment of the cheque amount to the payee or the holder of the cheque within 15 days of the receipt of the notice...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010003472012

03 M. Srinivasa Kumar v. Mibom Pertin

GAUHATI HIGH COURT • 2024-12-09 • CRL.PETN./44/2023

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर एक शिकायत से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा संज्ञान (cognizance) लेने के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि शिकायत निर्धारित समय-सीमा (limitation period) के बाद दायर की गई थी। प्रतिवादी के वकील ने भी स्वीकार किया कि शिकायत Section 142(b) of the Act के प्रावधानों के तहत तय समय से बाहर थी। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि शिकायत कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य अवधि के भीतर नहीं थी, जिसके कारण इसे समय-सीमा से बाधित (time-barred) माना गया। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि जब शिकायत धारा 142(b) के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्धारित सीमा अवधि के बाहर दायर की जाती है, तो अदालत द्वारा संज्ञान लेना गैर-कानूनी है। व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से बाउंस की जानकारी प्राप्त होने पर समय-सीमा तुरंत प्रभावी हो जाती है।

“Accordingly, the bouncing of the cheques being to the knowledge of the petitioner, herein, proximate to the time of bouncing of the same; the period of limitation for institution of the proceeding arose in the matter immediately after the same being brought to the knowledge of the petitioner, herein, by the respondent and accordingly, it is to be construed that the C.R. Case No. 02/2019 was admittedly so filed beyond the period of limitation as mandated under the provisions of Section 142(b) of the Negotiable Instrument Act, 1881.”

GAUHATI HIGH COURT • 2024

स्रोत GAHC040003692023

04 Umiya Pipe Private Limited v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008-09-24 • CR.MA/15251/2007

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा (limitation) से संबंधित है। विवाद यह था कि क्या शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा नोटिस का जवाब मिलने की तारीख से शुरू होती है, या कानूनी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद से। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 138 और Section 142 के प्रावधानों के अनुसार, 'cause of action' नोटिस मिलने के 15 दिन बाद उत्पन्न होता है। चूंकि इस मामले में शिकायत निर्धारित समय-सीमा के बाद दायर की गई थी और देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था, न्यायालय ने शिकायत को रद्द करने का निर्देश दिया।

निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज करने की एक महीने की परिसीमा अवधि धारा 138(c) के तहत कानूनी नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन बीत जाने के बाद ही शुरू होती है। निर्धारित समयसीमा के बाद दायर शिकायत कानूनन बाधित है।

“Therefore, the cause of action under Sub- Clause (c) of the proviso to Section 138 would arise within fifteen days of the receipt of the notice and for Sub-Clause (b) of the proviso to Section 138 if payment is not made within such fifteen days. In the present case, therefore, the cause of action to make the complaint within one month would arise on completion of 15 days after receipt of the notice by the accused...”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008

स्रोत GJHC240528722007

05 C.C. Alavi Haji v. Palapetty Muhammed

SUPREME COURT OF INDIA • 2007-05-18 • 2007 INSC 628

यह मामला Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 के तहत कानूनी नोटिस भेजने की अनिवार्यता से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब एक चेक जारीकर्ता (drawer) को सही पते पर Registered Post के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा जाता है, तो Section 27 of the General Clauses Act, 1897 and Section 114 of the Evidence Act, 1872 के तहत इसे तामील (service) माना जाएगा।

निर्णय न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि नोटिस पंजीकृत डाक से सही पते पर भेजा जाता है, तो नोटिस जारी करने की वैधानिक शर्त पूरी हो जाती है। आरोपी को शिकायत के साथ समन मिलने के 15 दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान करने का अवसर प्राप्त रहता है।

“When notice is sent by registered post by correctly addressing the drawer of the cheque, and statement to that effect in the complaint has been made, mandatory requirement of issue of notice in terms of clause (b) of proviso to s. 138 stands complied with-It is unnecessary to further aver in the complaint that service of notice was evaded by accused or that he had a role to play in return of notice unserved...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2007

स्रोत ESCR010010442007

06 Umiya Pipe Private Limited v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008-09-24 • CR.MA/15255/2007

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा (limitation period) से संबंधित है। विवाद इस बात पर था कि क्या शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा नोटिस मिलने के 15 दिन बाद शुरू होती है, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है, या शिकायतकर्ता द्वारा नोटिस का जवाब प्राप्त होने की तारीख से। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Cause of action नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन बाद समाप्त होने पर उत्पन्न होता है, न कि नोटिस का जवाब मिलने पर। चूंकि शिकायत निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं की गई थी, इसलिए न्यायालय ने संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि आरोपी द्वारा कानूनी नोटिस का जवाब देने से वाद कारण उत्पन्न होने या शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि का विस्तार नहीं होता। कानून के तहत समय-सीमा को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

“If such a contention is accepted, in that case, it would render the Sub-Clause (c) of the proviso to Section 138 nugatory and adding something which is not provided under Sub-Clause (c) of the proviso to Section 138. If such a contention is accepted, it would further extend the period of limitation.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2008

स्रोत GJHC240528732007

07 M/S. Rahul Builders v. M/S. Arihant Fertilizers and Chemical

SUPREME COURT OF INDIA • 2007-11-02 • 2007 INSC 1129

यह मामला Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 के तहत चेक बाउंस होने से संबंधित है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को बकाया बिलों के भुगतान के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन उस नोटिस में विशेष रूप से चेक की राशि का भुगतान करने की मांग नहीं की गई थी, बल्कि कुल बकाया राशि मांगी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि Section 138 के तहत कार्यवाही बनाए रखने के लिए नोटिस में चेक की राशि की स्पष्ट मांग करना अनिवार्य है। चूंकि अपीलकर्ता का नोटिस अस्पष्ट था और उसमें चेक की राशि का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय ने इसे कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं माना और शिकायत को खारिज करने के निर्णय को सही ठहराया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मांग नोटिस में चेक की विशिष्ट राशि की मांग स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए। यदि नोटिस धारा 138 के परंतुक (b) के अनुरूप नहीं है, तो शिकायत चलने योग्य नहीं होगी।

“Unless a notice is served in conformity with Proviso (b) appended to Section 138 of the Act, the complaint petition would not be maintainable. The Parliament while enacting the said provision consciously imposed certain conditions. One of the conditions was service of a notice making demand of the payment of the amount of cheque...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2007

स्रोत ESCR010002042007

08 Pradeep Choudhary v. State of Jharkhand

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2020-09-24 • CR.REV./289/2014

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 के तहत चेक बाउंस से संबंधित है। विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या शिकायत (complaint) कानूनी नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नोटिस मिलने की तारीख को गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, और इस आधार पर शिकायत समय से पहले (pre-mature) दायर की गई थी। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के Yogendra Pratap Singh v. Savitri Pandey मामले के निर्णय का हवाला देते हुए माना कि 15 दिनों की अवधि की गणना में नोटिस प्राप्त होने वाले दिन को छोड़कर किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने पाया कि शिकायत समय से पहले दायर की गई थी और इसलिए निचली अदालतों के निर्णय को खारिज कर दिया।

निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नोटिस प्राप्ति की तिथि को 15 दिनों की वैधानिक अवधि की गणना से बाहर रखना होगा। इस अवधि के पूर्ण होने से पहले दर्ज शिकायतें अपरिपक्व मानकर खारिज कर दी जाएंगी।

“...this Court holds that the alleged date of receipt of cheque bouncing notice in the instant case i.e. 27.04.2010 has to be excluded while calculating 15 days statutory period to file the complaint case under Section 138 of Negotiable Instruments Act, 1881 and the Complaint could have been filed earliest on 13.05.2010.”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2020

स्रोत JHHC010190102014

09 Barun Bhanot v. M/S Annie Impexpo Marketing Pvt Ltd & Anr

HIGH COURT OF DELHI • 2025-06-09 • ITA/45/2018

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर एक शिकायत से संबंधित है। याचिकाकर्ता (Petitioner) ने प्रतिवादियों (Respondents) पर अपनी सेवाओं के बदले बकाया भुगतान के लिए जारी किए गए चेकों के बाउंस होने का आरोप लगाया था। हालांकि, निचली अदालत (Metropolitan Magistrate) ने प्रतिवादियों को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा भेजा गया legal demand notice त्रुटिपूर्ण था और उसमें बकाया राशि का विवरण स्पष्ट नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों ने हिसाब-किताब में विसंगतियों और दोहरे बिलों के साक्ष्य दिखाकर एक 'probable defence' सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिससे Section 139 of the NI Act के तहत प्राप्त वैधानिक अनुमान (presumption) का खंडन हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 138(b) के तहत मांग नोटिस में "उक्त राशि" का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। यदि चेक राशि के अलावा अन्य खर्चों की मांग की जाती है, तो उन्हें चेक की मूल राशि से स्पष्ट रूप से विभाजित होना चाहिए, अन्यथा नोटिस अमान्य हो जाएगा।

“While Section 138 of the NI Act does not mandate that a demand notice can only represent the amount unpaid under the cheque and no other expenses, however, the same should be severable from the cheque amount failing which the demand notice would be invalid.”

HIGH COURT OF DELHI • 2025

स्रोत DLHC010012162018

10 Sadanandan Bhadran v. Madhavan Sunil Kumar

SUPREME COURT OF INDIA • 1998-08-28 • 1998 INSC 326

इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 के तहत एक ही चेक के बार-बार अनादर (dishonour) होने पर बार-बार कानूनी कार्यवाही (cause of action) उत्पन्न होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि चेक को उसकी वैधता अवधि के दौरान कई बार बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन एक बार जब Payee नोटिस जारी कर देता है और Drawer भुगतान करने में विफल रहता है, तो कानूनी कार्यवाही (cause of action) केवल एक बार ही उत्पन्न होती है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक बार नोटिस जारी करने के बाद, Payee उसी चेक पर बार-बार मुकदमा नहीं कर सकता। शिकायत Section 142(b) के तहत 15 दिनों का नोटिस समय समाप्त होने के एक महीने के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक चेक को उसकी वैधता के भीतर कई बार बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन एक बार मांग नोटिस जारी होने के बाद शिकायतकर्ता का यह विकल्प समाप्त हो जाता है और वाद कारण केवल एक ही बार उत्पन्न होता है।

“But, once he gives a notice under Section 138(b) he forfeits such right for in case of failure of the drawer to pay the money within the stipulated time he would be liable for the offence and the cause of action for filing the complaint will arise. The period of one month for filing the complaint will be reckoned from the day immediately following the day on which the period of fifteen days from the date of receipt of the notice by the drawer expires.”

SUPREME COURT OF INDIA • 1998

स्रोत ESCR010003091998

11 Navin Kumar Pathak v. The State of Jharkhand

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024-03-12 • ACQ. APP./28/2011

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत चेक बाउंस होने से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी ने बकाया राशि के भुगतान के लिए तीन चेक दिए थे, जो अपर्याप्त फंड के कारण बाउंस हो गए। निचली अदालत ने प्रतिवादी को बरी कर दिया क्योंकि शिकायत समय सीमा के भीतर दायर नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि कानूनी स्थिति यह है कि चेक के दूसरी बार प्रस्तुत करने पर भी मामला बनता है, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि दूसरा कानूनी नोटिस प्रतिवादी को विधिवत दिया गया था। कानून की कठोर आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील खारिज कर दी।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि चेक को दूसरी बार प्रस्तुत करने पर अभियोजन संभव है, लेकिन शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि कानूनी प्रक्रिया और दूसरे नोटिस की तामील कड़ाई से कानून सम्मत थी। साक्ष्य के अभाव में बरी करने का निर्णय वैध है।

“In “MSR Leathers v. S. Palaniappan” (2013) 1 SCC 177 the Hon’ble Supreme Court held as under: “35. In the result, we overrule the decision in Sadanandan case and hold that the prosecution based upon second or successive dishonour of the cheque is also permissible so long as the same satisfies the requirements stipulated in the proviso to Section 138 of the Negotiable Instruments Act.”

HIGH COURT OF JHARKHAND • 2024

स्रोत JHHC010243852011

12 Basalingappa v. Mudibasappa

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-04-09 • 2019 INSC 500

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत cheque dishonor से संबंधित है। Complainant ने accused को ₹6,00,000 का ऋण देने का दावा किया था, जिसके बदले में accused ने cheque दिया था जो अपर्याप्त funds के कारण वापस हो गया। Trial court ने accused को बरी कर दिया क्योंकि complainant अपनी financial capacity साबित करने में विफल रहा। बाद में, High Court ने इस निर्णय को पलट दिया। Supreme Court ने इस निर्णय को खारिज कर दिया और trial court के फैसले को बहाल किया। न्यायालय ने माना कि accused ने evidence के जरिए एक probable defence खड़ा कर दिया था, जिससे burden of proof complainant पर shift हो गया। चूंकि complainant अपनी financial capacity साबित करने में विफल रहा और उसने कई वित्तीय लेनदेन किए थे, इसलिए उसके दावे पर संदेह पैदा हुआ।

निर्णय न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 139 के तहत दी गई कानूनी उपधारणा का खंडन करने के लिए आरोपी को 'preponderance of probabilities' (संभावनाओं की प्रबलता) के आधार पर केवल एक संभावित बचाव पेश करने की आवश्यकता होती है।

“Keeping this in view, it is a settled position that when an accused has to rebut the presumption under Section 139, the standard of proof for doing so is that of “preponderance of probabilities”. Therefore, if the accused is able to raise a probable defence which creates doubts about the existence of a legally enforceable debt or liability, the prosecution can fail.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010008452019

13 Suman Sethi v. Ajay K. Churiwal

SUPREME COURT OF INDIA • 2000-02-02 • 2000 INSC 48

यह मामला Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 के तहत जारी नोटिस की वैधता से संबंधित है। Appellant ने एक चेक जारी किया था जो पर्याप्त राशि न होने के कारण dishonour हो गया था। Respondent ने चेक की राशि के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त शुल्क (incidental charges और notice charges) की मांग करते हुए नोटिस भेजा था। Magistrate का मानना था कि चेक की राशि से अधिक की मांग करने के कारण नोटिस कानूनी रूप से गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि नोटिस में चेक की 'said amount' स्पष्ट रूप से बताई गई है, तो अन्य अतिरिक्त मांगों को अलग (severable) माना जाएगा और वे नोटिस को अमान्य नहीं करेंगी। इसलिए, कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि नोटिस को समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए। यदि नोटिस में चेक की राशि की स्पष्ट रूप से मांग की गई है, तो ब्याज या अदालती लागतों जैसी अतिरिक्त मांगों से नोटिस अमान्य नहीं होता, क्योंकि वे पृथक करने योग्य होती हैं।

“Where in addition to 'said amount' there were also specific claims towards interest, costs etc. such claims would be severable and would not invalidate the notice. If, however, in the notice an omnibus demand was made without specifying what was due under the dishonoured cheque, the notice might well fail to meet the legal requirement...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2000

स्रोत ESCR010000662000

14 Prashant Sharma v. State of U.P.

HIGH COURT OF ALLAHABAD • 2023-11-21 • A482/28961/2023

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर एक शिकायत को रद्द करने की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि शिकायत में कानूनी नोटिस की प्राप्ति की विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं था, इसलिए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यदि नोटिस सही पते पर पंजीकृत डाक से भेजा गया है, तो General Clauses Act और Evidence Act के तहत सेवा की उपधारणा (presumption) की जा सकती है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपना कानूनी दायित्व पूरा करने के लिए नोटिस भेजना ही पर्याप्त है, और आरोपी के पास मुकदमे के दौरान इस उपधारणा का खंडन करने का अवसर होता है। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा सही पते पर भेजा गया है, तो सेवा की उपधारणा लागू होगी। आरोपी समन प्राप्त होने के बाद भी 15 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर अनुचित तामील का दावा नहीं कर सकता।

“A person who does not pay within 15 days of receipt of the summons from the Court along with the copy of the complaint under Section 138 of the Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G.C. Act and Section 114 of the Evidence Act.”

HIGH COURT OF ALLAHABAD • 2023

स्रोत UPHC011721452023

15 M/s. Mriuthyunjaya Agriculture Store & Ors. v. M/s. Kavery Distributors Pvt. Ltd.

HIGH COURT OF DELHI • 2009-07-29 • CRL.M.C./2920/2004

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर एक शिकायत को रद्द करने से संबंधित है। प्रतिवादी ने चेक बाउंस होने के बाद याचिकाकर्ता को पहला नोटिस भेजा, लेकिन उस नोटिस के आधार पर समय सीमा के भीतर कानूनी कार्रवाई नहीं की। बाद में, उन्होंने उसी चेक को दोबारा बैंक में प्रस्तुत किया और दूसरा नोटिस भेजकर शिकायत दर्ज की। न्यायालय ने *Sadanandan Bhadrans v. Madhavan Sunil Kumar* के निर्णय का हवाला देते हुए माना कि एक बार पहला नोटिस जारी होने के बाद, शिकायतकर्ता का नया कारण (cause of action) बनाने के लिए चेक को दोबारा प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अतः, न्यायालय ने समय सीमा समाप्त होने के कारण इस शिकायत को रद्द कर दिया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि जब एक बार पहला मांग नोटिस जारी कर दिया जाता है और शिकायतकर्ता समय-सीमा के भीतर मुकदमा दर्ज करने में विफल रहता है, तो वह उसी चेक को दोबारा बैंक में पेश करके नया वाद कारण बनाने और दूसरा नोटिस भेजने का हकदार नहीं है।

“But, once he gives a notice under Cl. (b) of 138 he forfeits such right for in case of failure of the drawer to pay the money within the stipulated time he would be liable for the offence and the cause of action for filing the complaint will arise. Needless to say, the period of one month for filing the complaint will be reckoned from the day immediately following the day on which the period of fifteen days from the date of the receipt of the notice by the drawer, expires.”

HIGH COURT OF DELHI • 2009

स्रोत DLHC010124642004

16 M.J. Kurian v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2017-03-29 • CRL.MC/6815/2016

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर एक शिकायत को रद्द करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने चेक बाउंस होने की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर वैधानिक मांग नोटिस (statutory demand notice) नहीं भेजा था, जो कि कानून के तहत अनिवार्य है। न्यायालय ने पाया कि शिकायत में स्वयं यह स्वीकार किया गया था कि चेक अनादर (dishonour) की सूचना 18 मार्च 2013 को प्राप्त हुई थी, जबकि नोटिस 17 मई 2013 को भेजा गया था। समय सीमा का उल्लंघन होने के कारण, न्यायालय ने संबंधित Magistrate के समक्ष चल रही सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया क्योंकि यह प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के विपरीत थी।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 138 के परंतुक (b) के तहत निर्धारित 30 दिनों की वैधानिक समय-सीमा के बाद जारी किया गया मांग नोटिस पूर्णतः अमान्य है और ऐसी शिकायतें कानूनन सुनवाई योग्य नहीं हैं।

“...it can be seen that the issuance of the statutory demand notice as prescribed under proviso (b) of Sec.138 of the Negotiable Instruments Act, is indisputably beyond the 30 days' time limit prescribed as per that statutory provision... Therefore, the petitioner has made a strong prima facie case... that the complaint is not maintainable...”

HIGH COURT OF KERALA • 2017

स्रोत KLHC010216272016

17 Guru Swarup Srivastava v. National Agricultural Cooperative Marketing Federation

HIGH COURT OF DELHI • 2008-01-23 • CRL.M.C./2072/2006

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने NAFED के पक्ष में एक चेक जारी किया था, जो दो बार अनादरित (dishonour) हुआ। पहली बार अनादरित होने पर NAFED ने एक पत्र भेजा, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। बाद में, दोबारा चेक प्रस्तुत करने और उसके अनादरित होने पर, NAFED ने कानूनी नोटिस भेजकर शिकायत दर्ज की। याचिकाकर्ता का तर्क था कि एक बार चेक अनादरित होने पर कार्रवाई न करने से NAFED का अधिकार समाप्त हो गया था और दूसरी बार शिकायत दर्ज करना कानूनन गलत था। न्यायालय ने इस कानूनी बिंदु पर विचार किया कि क्या चेक के बार-बार अनादरित होने पर नई शिकायत संभव है।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 142(b) के तहत संज्ञान लेने की समय-सीमा का अनुपालन अनिवार्य है। हालांकि, यदि शिकायत दर्ज करने में देरी होती है, तो परंतुक के अधीन पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर न्यायालय देरी को माफ कर सकता है।

“Provided that the cognizance of a complaint may be taken by the Court after the prescribed period, if the complainant satisfies the Court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period.”

HIGH COURT OF DELHI • 2008

स्रोत DLHC010531882006

18 Subodh S. Salaskar v. Jayprakash M. Shah & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2008-08-01 • 2008 INSC 890

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर शिकायत की समय-सीमा (limitation) और amendment से संबंधित है। Appellant ने 2001 में एक शिकायत दर्ज की थी, जो कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा से बाहर थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2002 में Section 142 में जोड़ा गया प्रावधान (proviso) एक substantive provision है, न कि procedural, इसलिए इसे retrospective प्रभाव नहीं दिया जा सकता। साथ ही, न्यायालय ने माना कि शिकायत में Section 420 of the Indian Penal Code को जोड़ने के लिए amendment की अनुमति देना गलत था, क्योंकि प्राथमिक तौर पर इसमें 'cheating' के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं थे। न्यायालय ने appellant के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया और शिकायत को खारिज कर दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परिसीमा अवधि की गणना में जिस दिन वाद कारण उत्पन्न होता है, उस दिन को बाहर रखना होगा। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा नोटिस भेजने पर तामील की उपधारणा हेतु सामान्यतः 30 दिनों का समय पर्याप्त माना जाना चाहिए।

“Therefore, the limitation would be counted from 27-1-1997 and the complaint was filed on 26-2-1997, within a period of one month from that date, as such, the same was filed well within time. We find that the point is concluded by a judgment of this Court in Saketh India Ltd. v. India Securities Ltd. in which case taking into consideration the provisions of Section 12(1) of the Limitation Act, it was laid down that the day on which cause of action had accrued has to be excluded for reckoning the period of limitation...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2008

स्रोत ESCR010001412008

19 Rajanikant Mani Tripathi v. State of U.P.

HIGH COURT OF ALLAHABAD • 2020-11-17 • CRLR/929/2020

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर एक शिकायत से संबंधित है। निचली अदालत ने यह मानते हुए शिकायत खारिज कर दी थी कि नोटिस तामील होने की अवधि को कम माना जाना चाहिए, जिससे शिकायत समय-सीमा (limitation) से बाहर हो गई। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 27 of the General Clauses Act के तहत रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे गए नोटिस की तामील के लिए उचित अनुमान 30 दिनों का होता है। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को त्रुटिपूर्ण माना क्योंकि उसने कानून के स्थापित सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। अतः, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनः सुनवाई के लिए निचली अदालत में भेज दिया।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि नोटिस की तामील के संबंध में व्यक्तिगत समय का अनुमान 30 दिनों तक हो सकता है। निचली अदालत द्वारा नोटिस जारी करने के केवल दो दिन बाद तामील का आकलन करना वैधानिक सिद्धांतों के विपरीत था।

“Meaning thereby, presumption of service of notice within a reasonable time is to be raised. It should be deemed to have been served at best within a period of thirty days from the date of issuance thereof. Meaning thereby, the reasonable period for presumption of service may be up to 30 days from date of its issuance.”

HIGH COURT OF ALLAHABAD • 2020

स्रोत UPHC010499412020

20 Goaplast Pvt. Ltd. v. Shri Chico Ursula D'Souza

SUPREME COURT OF INDIA • 2003-03-07 • 2003 INSC 153

यह मामला 'Negotiable Instruments Act, 1881' की 'Section 138' के तहत 'post-dated cheques' को रोकने (stop payment) के कानूनी प्रभाव से संबंधित है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति चेक जारी करने के बाद बैंक को भुगतान रोकने का निर्देश देता, तो भी वह 'Section 138' के तहत दंडनीय हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि 'Chapter XVII' का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली और व्यावसायिक लेनदेन में विश्वास बढ़ाना है। यदि चेक जारी करने वाले को भुगतान रोकने की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा और इसे अपने स्वयं के गलत कार्य का लाभ उठाने की अनुमति देने के समान होगा। अतः, न्यायालय ने मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि चेक जारी करने के बाद बैंक को भुगतान रोकने (stop payment) का निर्देश देना धारा 138 के तहत दायित्व से बचने का आधार नहीं हो सकता। बैंक द्वारा अनादृत किए जाने पर आपराधिक अभियोजन आकर्षित होगा।

“...applicability of Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 to a case in which a person issuing a post dated cheque stops its payment by issuing instructions to the drawee bank before the due date of payment... whether a case for punishment under that provision is made out, will depend on outcome of the trial.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2003

स्रोत ESCR010001642003

21 Indra Kumar Patodia v. Reliance Industries Ltd.

SUPREME COURT OF INDIA • 2012-11-22 • 2012 INSC 534

यह मामला इस प्रश्न से संबंधित था कि क्या Negotiable Instruments Act, 1881 की Section 138 के तहत दायर शिकायत, यदि शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर के बिना हो, तो क्या वह कानूनी रूप से मान्य है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि ऐसी शिकायत को मजिस्ट्रेट के समक्ष सत्यापन (verification) प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा सत्यापित कर लिया जाता है और मजिस्ट्रेट उसके आधार पर कार्यवाही (process) जारी करते हैं, तो शिकायत कानूनी रूप से मान्य है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि धारा 142(a) के तहत संज्ञान लेने पर गैर-अवरोधक खंड केवल मौखिक शिकायतों और अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा दर्ज शिकायतों को बाहर करने तक सीमित है। शिकायत में हस्ताक्षर न होने की तकनीकी कमी को बाद के चरणों में सुधारा जा सकता है।

“The non obstante clause, when it refers to the Code only excludes the oral part in such definition... According to us, the non obstante clause in Section 142(a) is restricted to exclude two things only from the Code i.e. (a) exclusion of oral complaints and (b) exclusion of cognizance on complaint by anybody other than the payee or the holder in due course.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2012

स्रोत ESCR010001172012

22 Complainant v. Accused

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023-07-27 • CRLA/627/2017

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत चेक बाउंस से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने व्यवसाय के लिए लिए गए ऋण के भुगतान के लिए चेक जारी किया था, जो अपर्याप्त धन और खाता बंद होने के कारण बाउंस हो गया। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने प्रक्रियात्मक विसंगतियों और कानूनी नोटिस की तामील को लेकर संदेह जताते हुए उसे बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने नोटिस की तामील और ऋण के अस्तित्व के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब चेक जारी करना स्वीकार्य हो, तो Section 139 के तहत अनुमान आरोपी के खिलाफ जाता है, और उसे इसे साबित करना होगा कि उसने ऋण चुका दिया है।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता का कानूनी कर्तव्य मांग नोटिस प्रेषित (dispatch) करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तामील की वैधानिक उपधारणा के बाद आरोपी को ऋण न होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है।

“The words in clause (b) of the proviso to Section 138 of the Act show that the payee has the statutory obligation to ‘make a demand’ by giving notice. The thrust in the clause is on the need to ‘make a demand’. It is only the mode for making such demand which the legislature has prescribed. A payee can send the notice for doing his part for giving the notice. Once it is dispatched his part is over...”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2023

स्रोत APHC010586702017

23 Virender Kumar v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012-05-09 • CRR/930/2012

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act और Section 420 IPC के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच विवादित राशि के भुगतान पर समझौता हो गया था। न्यायालय ने *Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H.* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को भुगतान किए जाने और कानूनी सेवा समिति के पास आवश्यक लागत जमा करने के बाद, अपराध को सुलझाने (compounding) की अनुमति दी। परिणामतः, न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को Section 320(8) CrPC के तहत बरी कर दिया।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने *Damodar S. Prabhu* के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए पुनरीक्षण चरण में चेक राशि की 15% लागत जमा करने के अधीन अपराध के शमन (compounding) की अनुमति दी, जिसका प्रभाव आरोपी की दोषमुक्ति (acquittal) के रूप में हुआ।

“Similarly, if the application for compounding is made before the Sessions Court or a High court in revision or appeal, such compounding may be allowed on the condition that the accused pays 15% of the cheque amount by way of costs... Finally, if the application for compounding is made before the Supreme Court, the figure would increase to 20% of the cheque amount.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012

स्रोत PHHC010637392012

Virender Kumar v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012-05-09 • CRR/936/2012

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत सजा और जुर्माने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ Punjab and Haryana High Court में Revision Petition दायर की थी। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता ने विवाद को सुलझाने (compromise) पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को चेक की राशि का भुगतान कर दिया और Damodar S. Prabhu vs. Sayed Babalal H. के फैसले के अनुसार कानूनी लागत भी जमा कर दी। न्यायालय ने इन परिस्थितियों को देखते हुए आपसी समझौते को स्वीकार किया और Section 320(8) CrPC के तहत याचिकाकर्ता को दोषमुक्त (acquitt) करने का आदेश दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि जब समझौता कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और आवश्यक लागत जमा कर दी जाती है, तो धारा 320(8) CrPC के तहत आरोपी की दोषमुक्ति स्वतः प्रभावी हो जाती है।

“The composition of an offence under this section shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded. From the conjoint reading of above, there is no dispute that once compounding is allowed, the same shall have effect of acquittal.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012

स्रोत PHHC010637452012

25 Virender Kumar v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012-05-09 • CRR/931/2012

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत सजा और जुर्माने से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ Punjab and Haryana High Court में Revision Petition दायर की थी। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो गया। याचिकाकर्ता ने Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H. मामले में Supreme Court द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक जुर्माना जमा किया और शिकायतकर्ता को चेक की राशि का भुगतान कर दिया। न्यायालय ने समझौते को स्वीकार करते हुए, Section 320(8) CrPC के तहत याचिकाकर्ता को बरी कर दिया और निचली अदालत के निर्णयों को रद्द कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने पक्षकारों के बीच हुए समझौते और आवश्यक वैधानिक लागतों के भुगतान को सत्यापित करने के बाद दोषसिद्धि के निर्णयों को निरस्त करते हुए पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की।

“From the conjoint reading of above, there is no dispute that once compounding is allowed, the same shall have effect of acquittal.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012

स्रोत PHHC010637402012

अ स्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।